के साथ दस्तावेज पेश किया। था.का. पर बहस सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 26.3.19 को पेश हो।

26.3.19 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। प्रार्थना पत्र के तथ्य, वांछित अनुतोषादि जवाब प्रार्थना पत्र एवं अन्य तथ्यों का सम्यक अवलोकन किया गया।

बहस विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष पर सम्यक मनन किया गया।

हस्व रिकार्ड वादगत भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज नहीं है। अप्रार्थी नं. 1 खेला है। हस्व रिकार्ड प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थीगण प्रकरण वर्णित भूमि का प्रथम दृष्टया पैतृक प्रमाणित नहीं कर पाये हैं। अर्थात् ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया

26/3/19

है।

अतः प्रार्थिया का केस प्रथम दृष्टया नहीं है।

वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज नहीं है। साथ ही साथ प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह प्रकट होता हो, कि वादग्रस्त भूमि पर उनका कब्जा हो। यदि प्रार्थीगण के कथनों के आधार पर अप्रार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किया जाता है, तो इससे प्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा होना तय नहीं है; अपितु अप्रार्थीगण को ही इससे असुविधा होगी। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है।

प्रार्थीगण न तो विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं, और न ही उनका विवादित भूमि पर कब्जा ही प्रकाशित है। इस प्रकार प्रकरण में विवादित भूमि के क्रम में प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होना भी तय नहीं है।

प्रार्थीगण का या अप्रार्थीगण का विवादित भूमि पर क्या स्वत्व: प्राप्त है.? या होने चाहिये ? इसका विनिश्चय मूलवाद में सम्यक साक्ष्योपरान्त तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार

26/03/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मेरिट पर होना है। न कि इस प्रा० पत्र या जवाब के आधार पर। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विवेचनोपरान्त हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को धारा 212 R.T. Act की शर्त त्रय पर परखने के उपरान्त पाते है कि प्रा० पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रा० पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा मि. नं. 63/18 के साथ संलग्न रहे। 26/3/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी 26/3/19	